फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर

चैनाराम बनाम विजय वगैरा

किस्म मुकदमाः- 212 आरटीए प्रकरण संख्याः-204/2023 (GCMS 2023/230)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24.06.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 6 बीकेएम की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/68 में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कुल 6.311 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम से 2104/6311 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 2144/6311 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 421/6311 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से 1642/6311 हिस्सा भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थी की माता केशर पत्नी खिराज कौम मेघवाल के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित भूमि का माता के जीवनकाल में घरू बंट्वारा किया हुआ हैं प्रार्थी उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 3.1555 हैक्टर भूमि पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है। उन्होने अप्रार्थी संख्या 3-4-6 से तथाकथित दस्तबरदारियां दिनांक 16.05.23 व 18.03.23 को प्रार्थी की बहन मीरां देवी पुत्री केशर (माता) व खिराज (पिता) पुत्र काशीराम जाति मेघवाल से अकेले अपने पक्ष में करवा ली है। जो कि प्रार्थी के हितों पर निष्प्रभावी है। प्रश्नगत रकबा प्रार्थी की माता व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की दादी को होने के कारण पैतृक रकबा था। पैतृक रकबा में एक मृतक का वारिस अपने हिस्से की दस्तबरदारी किसी एक व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य वारिसान के हक में नही कर सकते है। उनके हिस्सा का समस्त रकबा समस्त वारिसान को बहिस्सा बराबर प्राप्त होगा। प्रार्थी 1/2 हिस्सा भूमि पर काश्त कर रहा है। अप्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रार्थी को जैर प्रकरण भूमि से बेदखल करने की फिराक में है। यदि वे इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। कानूनी नजीर आरआरटी 2014(1) पेज 509 प्रस्तुत की।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि जैरवाद रकबा माता केशरदेवी के नाम से दर्ज था, उनकी मृत्यु उपरान्त यह भूमि केशरदेवी के जायज वारिसान मनीराम, चैनाराम एवं मीरादेवी के नाम से दर्ज की गई। अप्रार्थी के पिता मनीराम ने ही समस्त कार्य जैसे शादी, भात वगैरा किये है। प्रार्थी कभी भी परिवार के साथ नही रहा है। प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा भूमि थी एवं वह उतनी ही भूमि पर काबिज काश्त था। जिस पर अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रार्थी हमे तंग व परेशान करता था, जिस पर अप्रार्थी संख्या-1 ने पुलिस थाना जैतसर में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मीरादेवी जो कि प्रार्थी की बहिन है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की बुआ है। उसने अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में दस्तबरदारी दिनांक 10.03.2023 एवं 16.05.2023 को करवाई है। जिसका उन्हे पुरा हक था वह जिसके पक्ष में चाहे अपना हकत्याग कर सकती है। एक काश्तकार को हकत्याग से रोका नही जा सकता है। प्रार्थी का अब इस रकबा पर कोई हक व हिस्सा नही बनता है। वादी का 1/3 हिस्सा भूमि पर ही कब्जा है। माननीय न्यायालय को गुमराह करके टी0आई0 प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थना पत्र आधारीन होने से निरस्त किया जावे। कानूनी नजीर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) पेज 428 प्रस्तुत की।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जैरवाद रकबा पूर्व में केशर के नाम दर्ज रिकार्ड था। इसकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान के नाम से विरास्तन दर्ज हुआ है। इसके उपरान्त प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता मनीराम की मृत्यु उपरान्त 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ। प्रार्थी की बहिन एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की बुआ मीरादेवी द्वारा अपना 1/3 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 10.03.2023 तथा 16.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में हकत्याग कर दिया। इसी को प्रार्थी अपने हकों पर निष्प्रभावी करवाना चाहता है। यही मुख्य विवाद है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2024	2014(1) में एआईआर 2003 आन्ध्रप्रदेश पेज 498 के दृष्टिगत यह सिद्धात प्रतिपादित किया है कि एक सह खातेदार हकत्याग पत्र जरिये अपना हिस्सा सभी सह-खातेदारों के पक्ष में तो छोड़ सकता है, किसी एक सह खातेदार के पक्ष में हक त्याग नही कर सकता सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी की बहन मीरा द्वारा अपने भाई के पुत्रों अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में रिलीजडीड की गई है, जबकि उसका भाई यानि प्रार्थी भी सह खातेदार था। इस प्रकार उक्त कानूनी नजीर इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। अतः वाद पत्र के निर्णय तक दिनांक 18.09.2023 को जारी टी0आई0 वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे तहसील सूरतगढ़ के चक 6 बीकेएम की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/68 की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कुल 6.311 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि को वाद पत्र के निर्णय तक रहन, बैय ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सीता शर्मा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:33 IST
Reason: SelfAttested